DHAMPUR
Legacy for tomorrow

19.08.2022

To,
The Manager - Listing
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza,Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai - 400 051
Tel No. 022-2659 8237 /38
Symbol: DHAMPURSUG

The General Manager – DSC
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai: 400001
Tel No.022-22722039/37/3121
Security Code: 500119

Dear Sir,

Subject: Newspaper Advertisement regarding the 87th Annual General Meeting

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended), please find enclosed copies of the Newspaper Advertisement published on 19th August, 2022 in Business Standard (English) and Business Standard (Hindi) both also having electronic editions, in compliance with MCA General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17 /2020 dated 13th April, 2020, 20/2020 dated 5th May, 2020 and the latest being 2/2022 dated 5th May, 2022 in relation to the 87th Annual General Meeting of the Company, scheduled to be held on Wednesday, 14th September, 2022 at 2:00 P.M. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM).

The aforesaid information is also available on the website of the Company, viz., www.dhampusugar.com

You are requested to take the information on record.

Thanking you,

For Dhampur Sugar Mills Limited

Dhampur Sugar Mills Limited

Aparna Goel
Company Secretary
M. No. 22787

SII, other firms eye tie-ups to develop monkeypox vax

Indian Immunologicals and Haffkine Research Institute also in fray

SOHINI DAS
Mumbai, 18 August

Serum Institute of India (SII) and some other firms have started evaluating options to tie up with international players to develop a monkeypox vaccine. Some of them have shown interest in partnering with the Indian Council of Medical Research (ICMR) to develop the vaccine candidate.

SII CEO Adar Poonawalla had told *Business Standard* that it was collaborating with Greenlight Biosciences, a US-based company with technology, to make mRNA vaccines, for a handful of vaccines, including one for shingles. "We are even looking at doing something on monkeypox with them. It is a technology that still needs some time," Poonawalla said.

Over 38,000 people have been infected by monkeypox globally in more than 90 countries. The matter of concern is that more than 85 countries never reported laboratory confirmed cases of monkeypox prior to the 2022 outbreak, and the disease was endemic mostly in parts of Africa.

SII has submitted an expression of interest (EoI) to collaborate with the ICMR to make the monkeypox vaccine. The company did not wish to comment on the matter.

ICMR's National Institute of Virology, Pune, has already succeeded in isolating the monkeypox virus strain, something it had done at the time of Sars-CoV-2 pandemic.

Public sector companies such as Hyderabad-based Indian Immunologicals, and Mumbai-based Haffkine Research Institute, too, have entered the race to make the vaccine. Sources indicated that Dr Reddy's Laboratories, which is the Indian partner for Russian Sputnik V Covid-19 vaccine is also in the fray. DRL did not wish to comment on the matter.

Firms are awaiting a communication from the Centre on how to take things forward, multiple industry sources indicated.

ICMR is yet to take the final call on which firm it would partner with, and is scrutinising the EoIs. It would take a 5 per cent royalty from the partner firm, while the vaccine developer will be responsible for conducting clinical trials, producing and commercialising the vaccine.



SHOT IN THE ARM

- SII has tied up with Greenlight in March this year to design three mRNA products
- ICMR invites EoIs for collaborating to make monkeypox vaccine
- ICMR to take 5% royalty; NIV, Pune has isolated the virus strain
- Danish firm Bavarian Nordic looking for partners to expand production capacity of Jynneos – monkeypox vaccine

Tata Power arm raises ₹2,000 cr

BS REPORTER
Mumbai, 18 August

Tata Power Renewable Energy, a subsidiary of Tata Power, on Thursday said it raised ₹2,000 crore by issuing 83.6 million equity shares to BlackRock-backed GreenForest New Energies Bidco.

The transaction is part of the ₹4,000-crore investment announced in April by Tata Power for its green energy business.

The company said that it would offload 10.53 per cent stake in its renewable energy arm to a consortium backed by BlackRock and Mubadala, translating into a base equity valuation of ₹34,000 crore. The final shareholding would vary between 9.76 per cent and 11.43 per cent upon conversion.

Last week, the Competition Commission of India (CCI) had approved the deal, paving the way for the issuance of shares in tranches.

The investment will enable Tata Power to increase its capacity at a time when rivals such as the Adani group and Reliance Industries (RIL) are also ramping up their clean energy portfolios.

At a broader level, Tata Power has earmarked ₹75,000 crore for green energy in the next five years, Chairman N Chandrasekaran said last month.

An amount of ₹10,000 crore will be spent in the current fiscal year(FY23) to take the total capital expenditure (capex) during the ongoing fiscal to ₹14,000 crore, he said.

Tata Power was also taking a "pragmatic" approach to achieving its renewable energy targets and had added 707 megawatts (MW) of renewable capacity in FY22, Chandrasekaran said: "This has increased our clean and green portfolio to 34 per cent of total capacity. The company aims to raise this to 60 per cent in the next five years."

Last June. RIL committed ₹75,000 crore for renewable energy over three years and had declared a three-pronged strategy involving solar power, hydrogen production, e-fuels, and energy storage under its "New Energy and New Materials" division.

Don't implement one-charger plan until EU does: Industry to Centre

KARTHIK JEROME
New Delhi, 18 August

A number of industry bodies on Wednesday asked the Consumer Affairs Ministry to not implement the one-charger policy until the European Union (EU) does the same, *Business Standard* has learnt.

"Closer examination of the feasibility of the common charger is required, and the lessons that will be learned from the EU must be closely examined before any precipitate action" a presentation by one of the industry groups said in an internal meeting.

The industry bodies also said that the evidence-based policy making should be based on a thorough market and consumer research with a proper impact assessment on consumer ease against cost preference. Further, it said, digital penetration and accessibility of mobile devices across the length and breadth of India is the most important issue. There is also a need of funding towards wireless charging and interoperability of charging solutions



Speaking of e-waste, the industry bodies said that the one-charger policy might not have the desired effect. "I am not sure that it will impact the e-waste as you can have a common port but not a common charger because the power requirements of different devices are different" said Pankaj Mohindroo, chairman ICEA to *Business Standard*.

It must also be noted that India is a large base of charger manufacturing and it could affect the industry. "We have a massive manufacturing base and aspire to be world leaders in charger manufacturing, " said Mohindroo.

DMart aims 5x rise in stores

Billionaire Radhakishan Damani's supermarket chain, DMart, plans to boost its store count fivefold as it seeks to grow market share and hold its own against aggressive expansion from the likes of Mukesh Ambani's Reliance Retail. Avenue Supermarts, which currently runs the fourth-largest number of convenience stores in India, could scale up the chain known for its knockdown prices on everything from lentils to laundry powder to 1,500 supermarkets from 284, Chief Executive Officer Neville Noronha said in an interview. He declined to give a timeline or estimate the investment needed.

"There's no need to worry about growth for another 20 years -- the headroom for growth is awesome," he said.

BLOOMBERG

DHAMPUR
Legacy for tomorrow

DHAMPUR SUGAR MILLS LIMITED

Regd. Office: Dhampur, Distt. Bijnor-246761, U.P
Corp. Office: 6th Floor, Max House, Okhla Phase-III, New Delhi-110020
CIN- L15249UP1933PLC000511, Ph: 011- 41259400, Fax: 011-26935697
Email Id: investordesk@dhampursugar.com
Website: www.dhampursugar.com

INFORMATION REGARDING 87TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the **87th Annual General Meeting ("AGM")** of the members of Dhampur Sugar Mills Limited ("the Company") has been scheduled to be held on **Wednesday, 14th September, 2022 at 02:00 P.M. (IST)** through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means("OAVM") in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, Securities Exchange Board of India (Listing Obligations Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("Listing Regulations") read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 02/2021 dated Jan 13, 2021, 02/2022 dated May 5, 2022 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA"), and Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 to transact the business as set out in the Notice of AGM.

Service of Notice and Annual Report via e-mail :

In Compliance with the above-mentioned circulars, electronic copies of the Notice convening the AGM along with Explanatory Statement pursuant to the provisions of Section 102 of the Companies Act, 2013 and the Annual Report for the Financial Year 2021-22 will be sent within prescribed timelines by e-mail to all the members who have registered their email IDs with the Company/ M/s. Alankit Assignments Limited ("RTA") and Depository Participant(s) ("DPs"). The requirement of sending physical copies of the annual report has been dispensed with vide abovementioned MCA and SEBI Circulars. However, the physical copies of the Notice of 87th AGM along with the Annual Report shall be sent to the members who request the same at investordesk@dhampursugar.com. The Notice of the AGM and Annual Report will also be available on the website of the Company i.e., www.dhampursugar.com, website of stock exchange i.e., at BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange Limited (www.nse.com) and on the website of NSDL (www.evoting.nsdl.com).

Electronic Voting and Participation at the AGM :

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and provisions of Regulation 44 of Listing Regulations, the members will have an opportunity to cast their votes remotely on the businesses as set forth in the notice of the AGM through remote e-voting system.

Detailed instructions pertaining to Remote e-voting before the AGM, e-voting on the day of AGM and attending the AGM through VC/OAVM will be provided in Notice of the AGM.

Manner of Registering / Updating e-mail address :

Members of the Company holding shares in physical mode and who have not registered/ updated their e-mail addresses can also attend the AGM and vote by following the procedure being provided in the Notice of AGM.

The Members of the Company who have not registered/updated their email address can register the same as per the following procedure:

1. Members holding shares in physical form may get their email ids registered by submitting the duly filled and signed Form-ISR 1 (available on the website of the Company) for updating their KYC details (if not already submitted) with necessary documents mentioned therein the form to our RTA at M/s Alankit Assignments Limited, Alankit House 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi - 110055 Email: rta@alankit.com.
2. Members holding shares in dematerialized form may also temporarily get their e-mail id registered by providing the Demat account details (CDSL-16 digits beneficiary ID or NSDL-16-digit DPID + CLID), name, client master or copy of Consolidated Account Statement, PAN Card (Self Attested Copy), Aadhar Card (Self Attested Copy) to Company at investordesk@dhampursugar.com/ RTA e-mail id at rta@alankit.com or by clicking the link: https://mailupd.alankit.com and follow the registration process as guided therein. It is clarified that for permanent registration of e-mail address, the Members are requested to register the same with their respective Depository Participant.

The Board of Directors had declared interim dividend @ 60% i.e. Rs. 6 per equity share of Rs. 10 each at its meeting held on 27th March, 2022 which was paid to the equity shareholders whose names appeared on the Company's Registers of Members or in the records of the depositories as beneficial owners on 31st March, 2022. The Board has not proposed any final dividend for the Financial Year ended 31st March, 2022 and accordingly the interim dividend paid during the year shall be treated as final dividend. However, in order to receive any future dividend/ benefit directly in your bank account, kindly update your bank account details.

The Notice is being issued for the information and benefit of all the members of the Company in compliance with the applicable circulars of MCA and SEBI.

By order of the Board
For Dhampur Sugar Mills Limited
Sd/-
Aparna Goel
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No.: A22787

Place: New Delhi
Date : 18.08.2022

MUTUAL FUNDS Sahi Hai



Introducing
SUNDARAM
Flexi Cap Fund

NEW FUND OFFER

An open-ended dynamic equity scheme investing across large cap, mid cap, small cap stocks

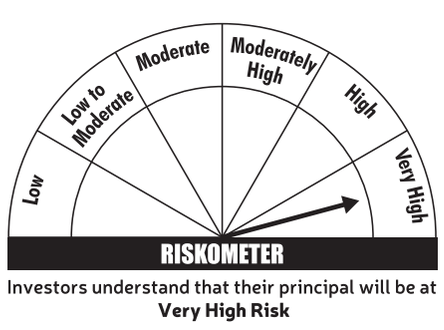
OPTIMIZING OPPORTUNITIES

Relax! Set aside your worries on what percent of Large, Mid & Small Caps to own.

Scan to invest

NFO Now Open! Closes on Aug 30, 2022.

Consult your Mutual Fund Distributor or call us on 1860 425 7237 for more details. /SundaramAMC /SundaramMF / sundarammutualofficial /sundarammutual



Investors understand that their principal will be at Very High Risk

This product is suitable for investors who are seeking*
• Capital appreciation over long term
• Investments in a dynamic mix of equity and equity related instruments across large cap, mid cap and small cap stocks

*Investors should consult their financial advisors if in doubt about whether the product is suitable for them.

SUNDARAM MUTUAL
UNEARTHING OPPORTUNITIES

Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
जहाँ सेवा ही जीवन– ध्येय है

Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life

मांग सूचना

शा.का. : आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम (हरियाणा)–122050 दूरभाष : 0124–2290023 ई-मेल : m0980@psb.co.in

[वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना]

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि निम्नलिखित कर्जदार ने बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के पुनर्भुगतान में चूक की है और कथित सुविधाएं एनपीए में बदल गई हैं। वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत कर्जदार/जमानतियों को उनके अन्तिम ज्ञात पते पर पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजी गयी थी। हालांकि नोटिस को अनडिलीवर्ड वापस कर दिया गया है और अधिकृत अधिकारी के पास यह मानने के कारण हैं कि कर्जदार/गारंटर नोटिस की सेवा से बच रहे हैं, इसलिए उन्हें इसके बारे में सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है।

कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	एनपीए की तिथि	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि
1. श्री धनराज पुत्र भारत भूषण (MORTL09801200000604 में कर्जदार) निवासी : मकान नं. 523/9, धोबी घाट, सुभाष नगर, गुरुग्राम 122001 2. श्री भारत भूषण पुत्र राम प्रसाद (MORTL09801200000604 में सह-कर्जदार) निवासी : मकान नं. नं. 523/11, सुभाष नगर, धोबी घाट, गुरुग्राम 122001 3. श्री अनिल दहिया पुत्र राम किशन (MORTL09801200000604 में गारंटर) निवासी 54/4, इंद्र पुरी, गुरुग्राम 122001	बंधक संपत्ति का विवरणः 529/9 (ओएलडी), 523/9 माप 47.6 वर्गगज, सुभाष नगर नगर निगम गुरुग्राम, गुड़गांव में स्थित। स्वामित्व विलेख का विवरणः क्षेत्रफल- 47.6 वर्ग गज बिक्री विलेख संख्या 9108 दिनांक 13-09-2018 संपत्ति की सीमाः उत्तरः संपत्ति संख्या 86/11 पश्चिमः संपत्ति संख्या 523-ए पूर्वः मार्ग 20 फीट चौड़ा दक्षिणः संपत्ति संख्या 85/11	29.11.2021	02.08.2022	रु. 1058278.65/- (रु. दस लाख अट्ठावन हजार दो सौ अठहत्तर एवं पैंसठ पैसे मात्र) तथा 10.60% वार्षिक ब्याज (MORTL हेतु)
1. श्री रज्जो देवी पत्नी सुरेंद्र कुमार (HL09801200000289 में कर्जदार) निवासी-मकान नंबर 39जी, ब्लॉक राजेंद्र पार्क गुरुग्राम 122001 2. श्री अजय कुमार पुत्र सुरेंद्र कुमार (HL09801200000289 में सह-कर्जदार और MORTL09801200000413 में कर्जदार) निवासी-मकान नंबर 39जी, ब्लॉक राजेंद्र पार्क, गुरुग्राम 122001 3. श्री ललित अग्रवाल पुत्र ओम नारायण अग्रवाल (HL09801200000289 में गारंटर) निवासी/फ्लैट नंबर 309, तीसरी मंजिल गणपति हाइट्स, प्रेम नगर, गुरुग्राम 122001 4. श्री सुरेंद्र कुमार पुत्र मामचंद गर्ग निवासी - मकान नंबर-39/213, राजेंद्र पार्क, गुरुग्राम 122001	बंधक संपत्ति का विवरणः मकान नं.-386, गली नंबर-16, गर्ग कॉलोनी बल्लभगढ़ फरीदाबाद, हरियाणा स्वामित्व विलेखों का विवरणः क्षेत्रफल- 62 वर्ग गज, बिक्री विलेख संख्या 5113 दिनांक 29-11-2004 सम्पत्ति की सीमा : उत्तरः सड़क पश्चिमः मकान संख्या 385 पूर्वः मकान संख्या 387 दक्षिणः अन्य संपत्ति	29.06.2022	02.08.2022	रु. 8,68,877/- (रुपये आठ लाख अड़सठ हजार आठ सौ सतहत्तर मात्र) तथा 8.50% वार्षिक ब्याज (एचएल हेतु) एवं 10.85% वार्षिक (MORTL हेतु)
1. श्री संदीप पुत्र रवि कांत (MORTL09801200000782 में कर्जदार) निवासी : मकान नं. 2330/28, सूरत नगर, फेज-2, धनवानपुर, गुरुग्राम 122006 2. श्री रविकांत पुत्र श्री भगवान (MORTL09801200000782 में कर्जदार) निवासी : मकान नं. 2330/28, सूरत नगर, फेज -2, धनवानपुर, गुरुग्राम 122006 3. श्रीमती मीरा देवी पत्नी रविकांत पासवान (MORTL09801200000782 में गारंटर) निवासी : मकान नं. 2330/28, सूरत नगर, फेज-2, धनवानपुर, गुरुग्राम 122006	बंधक संपत्ति का विवरणः मकान संख्या -2330 संपत्ति आईडी 113C801U826 जिसमें किला नं 17/24 गली संख्या 28, माप 60 वर्ग गज, सूरत नगर-2 गुड़गांव। स्वामित्व विलेखों का विवरणः क्षेत्रफल- 60 वर्ग गज बिक्री विलेख संख्या 1714 दिनांक 17-05-2000 सम्पत्ति की सीमा : उत्तरः रास्ता पश्चिमः मीना का घर पूर्वः अन्य संपत्ति दक्षिणः पिछला भाग	29.06.2022	02.08.2022	रु. 1914779.11/- (रुपये उन्नीस लाख चौदह हजार सात सौ उन्यासी एवं ग्यारह पैसे मात्र) तथा 10.85% वार्षिक ब्याज (MORTL हेतु)
1. श्री अशोक कुमार पुत्र राम जी (HL09801200000559 में कर्जदार) निवासी : मकान नंबर 1410, गली नंबर 20, सूरत नगर, फेज-2, गुड़गांव 2. श्री दिनेश पंडित पुत्र बलराम पंडित (HL09801200000559 में गारंटर) निवासी-मकान नंबर 2194, गली नंबर- 37, सूरत नगर, गुरुग्राम 122001	बंधक संपत्ति का विवरणः मकान नंबर 1410, गली नंबर 20, सूरत नगर, फेज -2, गुड़गांव स्वामित्व विलेखों का विवरणः क्षेत्रफल- 25 वर्ग गज बिक्री विलेख संख्या 6126 दिनांक 13-03-2018 सम्पत्ति की सीमा : उत्तरः दूसरों की संपत्ति, पश्चिमः रास्ता, पूर्वः दूसरों की संपत्ति, दक्षिणः दूसरों की संपत्ति	30.05.2022	02.08.2022	रु. 1807256.91/- (रुपये अठारह लाख सात हजार दो सौ छप्पन एवं इक्यानबे पैसे मात्र) तथा 7.45% वार्षिक ब्याज (HL हेतु)
1. श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी तकदीर सिंह (मॉर्टल में कर्जदार। 09801200000417) और (पीएसएचएलओ 0980120000361) निवासी-एच नंबर 43, ब्लॉक-सी, राजेंद्र पार्क, गुरुग्राम 122001 2. श्री नीरज पुत्र तकदीर सिंह (एमओआरटीएल में सह कर्जदार। 09801200000417) निवासी-एच नंबर 43, ब्लॉक-सी, राजेंद्र पार्क, गुरुग्राम 122001 3. श्री चिरंजीव कुमार पुत्र मनोरंजन प्रसाद वर्मा (एमओआरटीएल में गारंटर। 09801200000417) निवासी-एच नंबर 793/31, दूसरी मंजिल, गली नंबर 4, लक्ष्मण विहार, फे-2, गुरुग्राम 122001 4. यूसुफ अली पुत्र फरीद अली (आवास ऋण 09801200000361 में गारंटर) निवासी मकान संख्या 298, जय विहार, गुड़गांव 122001	बंधक संपत्ति का विवरणः मकान नंबर 43, ब्लॉक नंबर-सी, राजेंद्र पार्क, गुरुग्राम 122001 स्वामित्व विलेख का विवरणः क्षेत्रफल- 66.4 वर्ग गज, खसरा नं. 104-105, वासिका नं. 5033 दिनांक 11-11-1987 सम्पत्ति की सीमा : उत्तरः सड़क पश्चिमः प्लॉट नं. 42 पूर्वः सड़क दक्षिणः प्लॉट नं. 43	29.05.2022	02.08.2022	रु. 805327/- (रुपये आठ लाख पांच हजार तीन सौ सत्ताईस मात्र) तथा 10.60% वार्षिक ब्याज (MORTL हेतु) तथा 9.70% वार्षिक ब्याज (HL हेतु)

उपरोक्त कर्जदारों/गारंटरों को सलाह दी जाती है कि वे नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर करें, ऐसा न करने पर वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार 60 दिनों की समाप्ति के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कर्जदार/गारंटर को हमारी पूर्व सहमति के बिना उपरोक्त वर्णित किसी भी प्रतिभूत संपत्ति से किसी भी तरीके से निस्तारित करने से निषिद्ध किया जाता है। यह विषय अधिनियम और/या लागू किसी अन्य कानून के तहत हमारे लिए उपलब्ध किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

तिथि : 19-08-2022, स्थान : गुरुग्राम अधिकृत प्राधिकारी (पंजाब एण्ड सिंध बैंक)

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life

शाखा कार्यालय : इंटरनैशनल बैंकिंग डिवीज़न, 6, सिंधिया हाउस, भूतल, कनाट सर्कस, नई दिल्ली–110001, ईमेलः ibd.delhi@psb.co.in

परिशिष्ट IV[नियम–8(1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अधीन एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुसरण में, **पंजाब एण्ड सिंध बैंक, इंटरनैशनल बैंकिंग डिवीज़न, 6, सिंधिया हाउस, भूतल, कनाट सर्कस, नई दिल्ली–110001** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 30.05.2022 को मांग सूचना पत्र जारी किया जिसके तहत उक्त सूचना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के अंदर **मेसर्स अल्पाइन एंटरप्राइजेस (ऋणी) एवं श्री अशोक खुराना (मालिक) को दिनांक** 04.05.2022 **के अनुसार सूचना पत्र में उल्लिखित राशि** रु.74,59,046.85 (रुपये चौहत्तर लाख उनसठ हजार छियालीस एवं पैसे पचासी मात्र) के साथ इस पर आगे ब्याज, व्यय एवं अन्य प्रभार आदि चुकाने की मांग की।

ऋणी/जमानतदाता द्वारा धनराशि न चुकाए जाने पर, एतद्द्वारा ऋणी/जमानतदाता एवं सामान्य रूप से आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अधीन उन्हें दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने **17 अगस्त, 2022** को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

एतद्द्वारा ऋणी/जमानतदाता को विशेष रूप से एवं सामान्य रूप से आम जनता को सावधान किया जाता है कि नीचे वर्णित संपत्ति के साथ कोई सौदा न करें एवं संपत्ति के साथ कोई भी सौदा **पंजाब एण्ड सिंध बैंक, इंटरनैशनल बैंकिंग डिवीज़न, 6, सिंधिया हाउस, भूतल, कनाट सर्कस, नई दिल्ली–110001** को **दिनांक** 04.05.2022 के अनुसार देय राशि रु.74,59,046.85 (रुपये चौहत्तर लाख उनसठ हजार छियालीस एवं पैसे पचासी मात्र) के साथ इस पर लागत आदि चुकाने के अधीन किया जाएगा।

प्रतिभूत परिसंपत्तियों को छुड़ाने हेतु उपलब्ध समय के संबंध में ऋणी का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) की ओर आकर्षित किया जाता है।

संपत्ति का विवरण

चल संपत्ति

संपूर्ण चालू परिसंपत्तियों (वर्तमान एवं भावी) पर बंधक जिसमें शामिल है स्टॉक/कच्चे माल, चल रहे कार्य एवं तैयार वस्तुएँ, बही ऋण।

दिनांकः 17.08.2022, स्थानः दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life

शाखा कार्यालय : इंटरनैशनल बैंकिंग डिवीज़न, 6, सिंधिया हाउस, भूतल, कनाट सर्कस, नई दिल्ली–110001, ईमेलः ibd.delhi@psb.co.in

परिशिष्ट IV[नियम–8(1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अधीन एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुसरण में, **पंजाब एण्ड सिंध बैंक, इंटरनैशनल बैंकिंग डिवीज़न, 6, सिंधिया हाउस, भूतल, कनाट सर्कस, नई दिल्ली–110001** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 30.05.2022 को मांग सूचना पत्र जारी किया जिसके तहत उक्त सूचना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के अंदर **श्री अशोक खुराना (ऋणी) एवं श्रीमती मधु खुराना पत्नी श्री अशोक खुराना (जमानतदाता) को दिनांक** 04.05.2022 **के अनुसार सूचना पत्र में उल्लिखित राशि रु.** 59,06,507.86 (रुपये उनसठ लाख छह हजार पाँच सौ सात एवं पैसे छियासी मात्र) के साथ इस पर आगे ब्याज, व्यय एवं अन्य प्रभार चुकाने की मांग की।

ऋणी/जमानतदाता द्वारा धनराशि न चुकाए जाने पर, एतद्द्वारा ऋणी/जमानतदाता एवं सामान्य रूप से आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अधीन उन्हें दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने **17 अगस्त, 2022** को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

एतद्द्वारा ऋणी/जमानतदाता को विशेष रूप से एवं सामान्य रूप से आम जनता को सावधान किया जाता है कि नीचे वर्णित संपत्ति के साथ कोई सौदा न करें एवं संपत्ति के साथ कोई भी सौदा **पंजाब एण्ड सिंध बैंक, इंटरनैशनल बैंकिंग डिवीज़न, 6, सिंधिया हाउस, भूतल, कनाट सर्कस, नई दिल्ली–110001** को **दिनांक** 04.05.2022 के अनुसार देय राशि **रु.** 59,06,507.86 (रुपये उनसठ लाख छह हजार पाँच सौ सात एवं पैसे छियासी मात्र) के साथ इस पर लागत आदि चुकाने के अधीन किया जाएगा।

प्रतिभूत परिसंपत्तियों को छुड़ाने हेतु उपलब्ध समय के संबंध में ऋणी का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति के मालिकः श्री अशोक खुराना

निम्नलिखित संपत्ति के सभी एवं अंश, भूतल एवं प्रथम तल (बगैर छत/टेरेस अधिकारों के). नं. 56, ब्लॉक-सी (सी-2/56), जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 एवं निम्न सीमाओं से घिरी हुई:-

उत्तरः प्लॉट नं. 55 पश्चिमः प्रवेश/सड़क
पूर्वः सर्विस लेन दक्षिणः प्लॉट नं. 57

दिनांकः 17.08.2022, स्थानः दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
वंसुधरा, सैक्टर–9, गाजियाबाद (यू.पी.)

कब्जा सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (2022 का 54) के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ़ बड़ौदा, का** प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(4) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत ऋण धारक **श्री अवनीश कुमार उपाध्याय पुत्र श्री शंभु नाथ उपाध्याय और श्रीमती उमा उपाध्याय पत्नी श्री अवनीश कुमार उपाध्याय (सह–उधारकर्ता) को दिनांक 28.04.2022 को मांग सूचना जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि रू 11,36,387.01 (रु. ग्यारह लाख छत्तीस हजार तीन सौ सत्तासी और पैसे एक मात्र) दिनांक 23.05.2022 तक और भविष्य का ब्याज, अन्य खर्चें इत्यादि** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

ऋणधारक राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **16.08.2022** को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार / गारंटर / बंधककर्ता तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्तियो के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन **बैंक ऑफ़ बड़ौदा, के प्रभार वास्ते रू 11,36,387.01 (रु. ग्यारह लाख छत्तीस हजार तीन सौ सत्तासी और पैसे एक मात्र) दिनांक 23.05.2022 तक और भविष्य का ब्याज, अन्य खर्चें इत्यादि सहित** के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

साम्यिक बंधक अचल संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि मकान नं. ।।–ई/266ए, ईडब्ल्यूएस, प्रथम तल, सैक्टर–2, वैशाली, यू.पी.–201010 में स्थित, कवर्ड क्षेत्रफल 28.56 वर्ग मी., चौहद्दी : पूरब में – 20फीट चौडी गली, पश्चिम में – मकान नं. 275–ए, उत्तर में – मकान नं. 265–ए, दक्षिण में – मकान नं. 267–ए

दिनांक : 16.08.2022, स्थान : दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ़ बड़ौदा

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life

शाखा कार्यालयः इंटरनेशनल बैंकिंग डिवीजन, 6, सिंधिया हाऊस, भूतल, क्नाट सर्कस, नई दिल्ली–110001, ई–मेलः ibd.delhi@psb.co.in

परिशिष्ट IV [नियम (8–1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने **पंजाब एण्ड सिंध बैंक, इंटरनेशनल बैंकिंग डिवीजन, 6, सिंधिया हाऊस, भूतल, क्नाट सर्कस, नई दिल्ली–110001** के प्राधिकृत अधिकारी की क्षमता से वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना दिनांकित **30.05.2022** जारी की थी जिसमें **मेसर्स अल्पाइन एंटरप्राईजेज (कर्जदार), श्री अशोक खुराना (प्रॉपराईटर), श्रीमती मधु खुराना पत्नी श्री अशोक खुराना (जमानती) और श्रीमती कंचन मदान (जमानती)** से सूचना में उल्लिखित दिनांक **04.05.2022** को राशि **रु. 2,88,49,917.31/– (रुपये दो करोड़ अठासी लाख उनचास हजार नौ सौ सत्रह और इकत्तीस पैसा मात्र)** को उक्त सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर चुकता करने के लिए कहा गया।

कर्जदार/जमानती द्वारा राशि का भुगतान न कर पाने पर कर्जदार/जमानती तथा सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे उल्लिखित संपत्ति **17 अगस्त, 2022** को कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/जमानती तथा सर्व साधारण को संपत्ति से कोई लेन–देन न करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्ति के लिए कोई भी लेन–देन दिनांक **04.05.2022** को राशि **रु. 2,88,49,917.31/– (रुपये दो करोड़ अठासी लाख उनचास हजार नौ सौ सत्रह और इकत्तीस पैसा मात्र)** और इस पर लागतों आदि के लिए **पंजाब एण्ड सिंध बैंक, इंटरनेशनल बैंकिंग डिवीजन, 6, सिंधिया हाऊस, भूतल, क्नाट सर्कस, नई दिल्ली–110001** के प्रभार के अधीन होगा।

उपलब्ध समय के संबंध में प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति का स्वामित्वः श्री अशोक खुराना

संपत्ति नं. 56, ब्लॉक–सी (सी–2/56), जनकपुरी, नई दिल्ली–110058 के भूतल और प्रथम तल (छत/टेरेस अधिकारों रहित) के सभी भाग व खंड और इसकी सीमाएँ निम्नवत् हैं:–

उत्तरः प्लॉट नं. 55 पश्चिमः प्रवेश/रोड
पूर्वः सर्विस लेन दक्षिणः प्लॉट नं. 57

दिनांकः 17.08.2022, स्थानः दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

रेलीगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. RELIGARE HOME LOANS Values that bind

पंजीकृत कार्यालय : पी-14 45/90, पी-ब्लॉक, प्रथम तल, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001
केन्द्रीय कार्यालय : ए-3/4/5, क्लब 125, टॉवर-बी, द्वितीय तल, सेक्टर-125, नोएडा-201301

कब्जा सूचना [परिशिष्ट IV नियम 8(1)]

जैसा कि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) (इसके पश्चात सरफैसी अधिनियम, 2002 सन्दर्भित) के प्रावधानों के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में गैर-बैंकिंग फाइनेंशियल कम्पनी रेलीगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विधिवत पंजीकृत), पंजीकृत कार्यालय : प्रथम तल, पी–14, 45/90, पी-ब्लॉक, कनाट प्लेस, नई दिल्ली–110001 (इसके पश्चात आरएचडीएफसीएल सन्दर्भित) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते (1) धर्मेन्द्र गोपीराम पुत्र गोपीराम, (2) सतबीर सिंह पुत्र गोपी राम, (3) सरिता देवी पत्नी धर्मेन्द्र, सभी निवासी : 76, गांव झड़ौदा माजरा, बुराड़ी, दिल्ली–110084 से कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि रु. 17,71,114.7/- तथा 21.04.2021 से ब्याज का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए 28.04.2021 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

कर्जदार/जमानती के राशि के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण एतद्वारा कर्जदारों तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में 17 अगस्त, 2022 को नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार रु. 17,71,114.7/- तथा 21.04.2021 से ब्याज के लिए ''आरएचडीएफसीएल'' के प्रभार का विषय होगा :

प्रतिभूत आस्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के सन्दर्भ में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

सम्पत्ति की अनुसूची

दो मंजिला बिल्ट-अप संपत्ति का समस्त भाग, क्षेत्रफल माप 45 वर्ग गज (अर्थात 37.63 वर्ग मीटर), छत के अधिकार सहित आकाश तक, कुल क्षेत्रफल माप 100 वर्ग गज में से, खसरा नं. 40 का भाग, आबादी/लाल डोरा गांव झड़ौदा मजारा बुराड़ी दिल्ली 1110084 में स्थित। सीमाएं; उत्तरः अमर की संपत्ति, दक्षिणः सड़क, पूर्वः सुंदर की संपत्ति, पश्चिमः शेष सड़क

स्थान : दिल्ली अधिकृत प्राधिकारी
तिथि : 17.08.2022 मैसर्स रेलीगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

प्रपत्र क

[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

मीनाक्षी एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

	सुसंगत विशिष्टियाँ	
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	मीनाक्षी एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	19/12/1985
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U28910DL1985PTC022829
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	भगवती बिजनेस सेंटर ऑफिस नंबर 1, प्रथम तल, एस-565, स्कूल ब्लॉक-2, शकरपुर, नई दिल्ली -110092
6.	कार्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	17-08-2022 (आदेश 18/08/2022 को ई-मेल द्वारा प्राप्त हुआ)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	15-02-2023
8.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	नरेश कुमार बंसल IBBI/IPA-002/IP-N00486/2017-2018/11448
9.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	केडी-138, प्रथम तल, पीतमपुरा, दिल्ली -110034 adv.naresh@gmail.com
10.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई-मेल	केडी-138, प्रथम तल, पीतमपुरा, दिल्ली -110034 adv.naresh@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि	31-08-2022
12.	अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियाँ, यदि कोई हो	अप्रयोज्य
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिन्हित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	अप्रयोज्य
14.	(क) सम्बन्धित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	अप्रयोज्य

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ ने मीनाक्षी एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध सीपी में आदेश सं. (IB)2527(ND)2019 तथा IA-2741/2022 दिनांक 03.05.2021 के माध्यम से कॉर्पोरेट ऋण शोधन क्षमता समाधान प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया।

मीनाक्षी एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण 31.08.2022 को अथवा इससे पूर्व अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावों का प्रमाण उनके दावों के समर्थन में दस्तावेजों सहित निम्नलिखित निर्दिष्ट प्रपत्रों द्वारा जमा किया जाना है :

प्रपत्र ख : प्रचालन लेनदारों के दावों के लिए (कामगारों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)
प्रपत्र ग : वित्तीय लेनदारों द्वारा दावों के लिए
प्रपत्र घ : कामगार अथवा कर्मचारियों द्वारा दावों के लिए
प्रपत्र ङ : कामगारों तथा कर्मचारियों के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दावों के लिए
प्रपत्र च : वित्तीय लेनदारों तथा प्रचालनात्मक लेनदारों को छोड़कर अन्य लेनदारों द्वारा दावों के लिए

उपर्युक्त प्रपत्रों की प्रति भारतीय ऋण शोधन क्षमता तथा दिवालिया (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवालिया प्रक्रिया) विनियम, 2016 के तहत निर्धारित के अनुसार www.ibbi.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दण्डनीय होगी। सभी दावेदारों को दावा प्रपत्र में अपने पैन, ई-मेल आईडी तथा फोन नम्बर का उल्लेख अनिवार्य रूप से करना परामर्शित किया जाता है।

ह./-
(नरेश कुमार बंसल)
तिथि : 18.08.2022 अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल
स्थान : नई दिल्ली पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-002/IP-N00486/2017-2018/11448

DHAMPUR Legacy for tomorrow

धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः धामपुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर–246761, यू.पी
कॉर्पो कार्यालयः 6वीं मंजिल, मैक्स हाउस, ओखला फेज III, नई दिल्ली–110020
CIN- L15249UP1933PLC000511, फोनः 011- 41259400, फैक्सः 011-26935697
ई–मेल आईडीः investordesk@dhampursugar.com
वेबसाइटः www.dhampursugar.com

87वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में सूचना

एतद्द्वारा **सूचित** किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, यथा संशोधित (''सूचीयन विनियम'') के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, 02/2022 दिनांक 5 मई, 2022 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित कामकाज के निष्पादन के लिए धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड (''कंपनी'') के सदस्यों की **87वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') बुधवार, 14 सितम्बर, 2022 को दोपहर 2:00 बजे (आईएसटी)** विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों (''ओएवीएम'') के द्वारा आयोजित की जाएगी।

सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट की ई–मेल के माध्यम से सेवाः

उपरोक्त वर्णित परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के प्रावधानों के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण के साथ एजीएम के आयोजन की सूचना और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को ई–मेल द्वारा निर्धारित समय–सीमा के भीतर भेजी जाएगी जिनके ई–मेल पते कंपनी/मैसर्स अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड (''आरटीए'') और डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) (''डीपी'') के पास पंजीकृत हैं। वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजनी की आवश्यकता एमसीए एवं सेबी के उपरोक्त वर्णित परिपत्रों के माध्यम से हटा दी गई है। तथापि, वार्षिक रिपोर्ट के साथ 87वीं एजीएम के आयोजन की सूचना की भौतिक प्रतियां उन सदस्यों को भेजी जाएंगी जो investordesk@dhampursugar.com पर इसके लिए अनुरोध करेंगे। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.dhampursugar.com, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (www.nse.com) तथा एनएसडीएल की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध होंगी।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एवं एजीएम में प्रतिभागिताः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 तथा सूचीयन विनियम के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुसरण में सदस्यों के पास रिमोट ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित कामकाज पर अपना वोट रिमोटली देने का अवसर होगा।

एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग, एजीएम के दिन ई–वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने से संबंधित विस्तृत निर्देश एजीएम की सूचना में दिये गये हैं।

ई–मेल पता पंजीकरण/अपडेट कराने की प्रक्रियाः

भौतिक प्रारूप में कंपनी के शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपना ई–मेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं कराया है, वे भी एजीएम की सूचना में दी गई प्रक्रिया का पालन करके एजीएम में भाग ले सकते हैं और अपना वोट दे सकते हैं।

कंपनी के सदस्यगण जिन्होंने अपना ई–मेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं कराया है, वे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करके उसे पंजीकृत करा सकते हैं:

1. भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण फॉर्म में वर्णित आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने केवाईसी विवरण (यदि पहले जमा नहीं किये हैं) अपडेट कराने के लिए फॉर्म–आईएसआर 1 (कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध) को विधिवत् भरकर एवं हस्ताक्षरित करके उसे हमारे आरटीए मैसर्स अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड, अलंकित हाउस, 4ई/2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055, ई–मेल rta@alankit.com के पास जमा करके अपना ई–मेल आईडी पंजीकृत करा सकते हैं।
2. डिमैटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण अपना डिमेट खाता विवरण (सीडीएसएल–16 अंक लाभार्थी आईडी या एनएसडीएल–16–अंक डीपीआईडी+सीएलआईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित लेखा विवरण की प्रति, पैन कार्ड (स्व–सत्यापित प्रति), आधार कार्ड (स्व–सत्यापित प्रति) उपलब्ध कराते हुए कंपनी को investordesk@dhampursugar.com/ पर आरटीए ई–मेल आईडी rta@alankit.com पर भेजकर अपना ई–मेल आईडी अस्थायी रूप से पंजीकृत करा सकते हैं या लिंक https://mailupd.alankit.com पर क्लिक करे और उसमें बताए अनुसार पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि ई–मेल पते के स्थायी पंजीकरण के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास इसे पंजीकृत कराएं।

निदेशक मंडल ने 27 मार्च 2022 को आयोजित अपनी बैठक में अंतरिम लाभांश @ 60% अर्थात् रु. 10 प्रत्येक के रु. 6 प्रति इक्विटी शेयर की घोषणा की है जिसे उन इक्विटी शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम 31 मार्च, 2022 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर या लाभार्थी स्वामी के रूप में डिपॉजिटरी के रिकार्ड में शामिल होंगे। बोर्ड ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए किसी अंतिम लाभांश का प्रस्ताव नही किया है और तद्नुसार वर्ष के दौरान भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश हीं अंतिम लाभांश के रूप में माना जाएगा। तथापि, सीधे अपने बैंक खाते में भविष्य में लाभांश/लाभ प्राप्त करने के लिए कृपया अपना बैंक खाता विवरण अपडेट कराएं।

यह सूचना एमसीए एवं सेबी के लागू परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी एवं लाभ के लिए जारी की जा रही है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड
हस्ता./–
अपर्णा गोयल
स्थान : नई दिल्ली कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
दिनांकः 18.08.2022 सदस्यता सं. ए22787

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ
प्रपत्र नं. 5

600/1, यूनिवर्सिटी रोड, हनुमान सेतु मंदिर के निकट, लखनऊ-226007
(न्यायाधिकार क्षेत्र - उत्तर प्रदेश का हिस्सा)
प्रकाशन द्वारा जवाब देने एवं उपस्थित होने के लिए सम्मन

(बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(3) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियम 1993) के नियम 12 एवं 13 के अधीन सूचना)

मूल आवेदन सं. 472/2022

एचडीएफसी बैंक लि. .... आवेदक

बनाम

बाबर अली .... प्रतिवादीगण

प्रति, **1. बाबर अली** पिता जाहिद अली जामी बुजुर्ग, हाजी वाली मस्जिद के निकट, मेरठ, उ.प्र.-250501 और एक पताः ग्लोबल इंफ्राटेक, शॉप नं. 10, सिद्धार्थ मार्केट, ट्रांसपोर्ट नगर, मेरठ, उ.प्र.-250501.

ऊपर उल्लिखित आवेदन में, इस सम्मन के प्रकाशन के उपरांत आवेदक या उनके सलाहकार/यथावत रूप से अधिकृत एजेंट को इसकी प्रतिलिपि सेवित करने के बाद आपको व्यक्तिगत अथवा यथावत रूप से अधिकृत एजेंट या वैध अधिवक्ताओं द्वारा दस्तावेज तथा हलफनामा (यदि कोई हो) के साथ दो सेटों में पेपर बुक प्रारूप में उत्तर दायर करना होगा तथा तदुपरांत इस न्यायाधिकरण के समक्ष दिनांक **13.10.2022 को सुबह 10.30 बजे** उपस्थित होना होगा, अन्यथा आपकी गैर हाजिरी में आवेदन पर सुनवाई कर उस पर निर्णय ले लिया जाएगा।

पंजीयक, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ

कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व का जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड) के अधिकृत प्राधिकारी ने भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक हुए प्रयोज्य भावी ब्याज, आकस्मिक व्ययों, लागतों, प्रभारों आदि सहित कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सम्बन्धित नाम के सम्मुख उल्लिखित राशि तथा उस पर कथित सूचना में उल्लिखित दर पर प्रयोज्य ब्याज का भुगतान करने को कहते हुए कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों) को मांग सूचना जारी की थी।

क्र सं.	ऋण सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/ जमानती/बंधककर्ता	13(2) की सूचना तिथि/तिथि तक बकाया राशि (रु. में)	तिथि/समय तथा कब्जे का प्रकार
1.	47548640000150 47549660000117 47549660000195 47548640000160 47549660000054 तथा 47549660000182	1) मैसर्स जेडएम ट्रेडर्स इसके प्रोपराइटर श्री अय्यूब खान द्वारा प्रतिनिधित्व, 2) श्री अय्यूब खान (कर्जदार), 3) श्रीमती मुन्नी बेगम (गारंटर), 4) श्रीमती रुकसाना (गारंटर)	31.05.2022, रु. 37,30,705.00 (रुपये सैंतीस लाख तीस हजार सात सौ पांच मात्र) 29.05.2022 तक	तिथि : 13.08.2022 समय : 11:36 बजे पूर्वा. सांकेतिक कब्जा
	प्रतिभूत आस्ति का विवरणः मकान नं. 1 का हिस्सा, ग्राम कैला, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, उ.प्र.-201001 में स्थित, माप 72.76 वर्ग गज। श्री मोहम्मद अय्यूब खान, पुत्र स्वर्गीय श्री मो. शब्बीर के स्वामित्व में। सीमाएं: पूर्वः लिखीराम का घर और दुकान, पश्चिमः लिखीराम की संपत्ति, उत्तरः गेट और राजदुलारी का घर, सामने माप 14.9 फीट उसके बाद गली, दक्षिणः लिखीराम का घर।			
2.	45138640000082 45139660000151 45138640000079 45139660001549 तथा 45139660000253	1) मैसर्स सरफराज इंजीनियरिंग वर्क्स इसके प्रोपराइटर श्री सरफराज द्वारा प्रतिनिधित्व, 2) श्री सरफराज (कर्जदार), 3) श्रीमती शहजादी (गारंटर), 4) इश्तयाक (गारंटर), 5) श्रीमती राबिया बेगम (गारंटर)	23.05.2022, रु. 57,48,817.00 (रुपये सत्तावन लाख अड़तालीस हजार आठ सौ सत्रह मात्र) 22.05.2022 तक	तिथि : 13.08.2022 समय : 08:55 बजे पूर्वा. सांकेतिक कब्जा
	प्रतिभूत आस्ति का विवरणः खसरा नंबर 621-मिन, संपत्ति संख्या-सी-11, मेन रोड, गामड़ी एक्सटेंशन, इलाका शाहदरा, दिल्ली, माप 136 वर्ग गज। श्रीमती राबिया बेगम पत्नी स्वर्गीय श्री मो. शमसुल हसन के स्वामित्व में। सीमाएं: पूर्वः गली 12 फीट चौड़ी, पश्चिमः दूसरों की संपत्ति, उत्तरः गली 20 फीट चौड़ा, दक्षिणः दूसरों की संपत्ति।			
3.	30089670000062 30689670000331 तथा 30689440000166	1) मैसर्स रामपाल इसके प्रोपराइटर श्री रामपाल द्वारा प्रतिनिधित्व, 2) श्री रामपाल (कर्जदार), 3) श्रीमती शिव कुमारी (गारंटर)	31.05.2022, रु. 28,87,775.71 (रुपये अट्ठाईस लाख सत्तासी हजार सात सौ पिचहत्तर एवं इकहत्तर पैसे मात्र) 29.05.2022 तक	तिथि : 13.08.2022 समय : 10:30 बजे पूर्वा. सांकेतिक कब्जा
	प्रतिभूत आस्ति का विवरणः प्लॉट नंबर 05, खसरा नंबर 870 मिन, प्लॉट एरिया 129.60 वर्ग मीटर, ग्राम पसौंदा परगना, लोनी, तहसील और जिला गाज़ियाबाद में स्थित। श्री रामपाल, पुत्र श्री नारायण दास के स्वामित्व में। सीमाएं: पूर्वः प्लॉट नंबर 6, पश्चिमः प्लॉट नंबर 4, उत्तरः रास्ता 20 फीट चौड़ा, दक्षिणः अन्य संपत्ति।			

जैसा कि यहां ऊपर उल्लिखित कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता बकाया राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहे, एतद्वारा विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित कर्जदार तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में यहां ऊपर उल्लिखित सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों पर कब्जा कर लिया है। जैसा कि यहां ऊपर उल्लिखित कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता को विशेष रूप से तथा जनसामान्य को एतद्वारा उपर्युक्त सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों से कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और उपर्युक्त सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों के साथ कोई संव्यवहार जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अध्यधीन होगा।

स्थान : दिल्ली ह./- अधिकृत प्राधिकारी
तिथि : 18.08.2022 कृते जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

जना स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

पंजीकृत कार्यालयः द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ डोमलूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लाघट्टा, बैंगलोर–560071। **शाखा कार्यालयः** 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए., आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली -110005

The Federal Bank Ltd.
NOIDA BRANCH, FEDERAL TOWERS, H 362, SHOPPING COMPLEX, SECTOR -22, NOIDA, GAUTAM BUDDA NAGAR, UTTAR PRADESH- 201301

FEDERAL BANK YOUR PERFECT BANKING PARTNER REGD. OFFICE: ALUVA, KERALA

NOTICE FOR PRIVATE SALE OF GOLD

Notice is hereby given for the information of all concerned that Gold Ornaments pledged in the following Gold loan accounts, with the under mentioned branches of the Bank, which are overdue for redemption and which have not been regularized so far in spite of repeated notices, will be put for sale in the branch on or after **03.09.2022** as shown below:

NAME	ACCOUNT NUMBER	NAME	ACCOUNT NUMBER
BABUL KUMAR	13406100090749	SATISH KUMAR	13406400001149
SANJAY CHAUHAN	13406400001511	RAVI GARG	13406200013047
ANIL KUMAR	13406100103377	GEETA	13406400001735
ANIL KUMAR	13406400002097	RAVI GARG	13406100103971
NEELAM RANA	13406400002287	ANJU SHARMA	13406100107915
SANTOSH TRIPATHI	13406100101033	ARATHY NAIR	13406100105950
HIMJA SINGH	13406100103318	SACHIN KANSANA	13406400002337
HIMJA SINGH	13406100103326	SACHIN KANSANA	13406400002204

Venue: The Federal Bank Ltd.
NOIDA BRANCH, FEDERAL TOWERS, H 362, SHOPPING COMPLEX, SECTOR -22, NOIDA, GAUTAM BUDDA NAGAR, UTTAR PRADESH- 201301

Place: NOIDA, Date: 18.08.2022 Branch Manager, The Federal Bank Ltd.

The Federal Bank Ltd.
NOIDA BRANCH, FEDERAL TOWERS, H 362, SHOPPING COMPLEX, SECTOR -22, NOIDA, GAUTAM BUDDA NAGAR, UTTAR PRADESH- 201301

FEDERAL BANK YOUR PERFECT BANKING PARTNER REGD. OFFICE: ALUVA, KERALA

PUBLIC NOTICE - GOLD AUCTION

Notice is hereby given to the public in general and the account holders in particular that e-auction of the pledged gold ornaments in the below mentioned account/s will be conducted by Federal Bank Ltd., on **13th SEPTEMBER 2022** through online portal, **https://gold.samil.in.** Interested buyers may log on to the auction portal or contact the Bank at the **FEDERALBANK, NOIDA BRANCH** for further information. In case e-auction is not materialised for any reason on the date mentioned above, with respect any or all items of the pledged ornaments, Bank shall be conducting private sale of the items on any subsequent date/s without further notice.

Branch Name	Loan Account number / Rupeek
FEDERAL BANK NOIDA BRANCH	13406100107188 / 2162187
FEDERAL BANK NOIDA BRANCH	13406100105976 / 2151173
FEDERAL BANK NOIDA BRANCH	13406100107311 / 2162530
FEDERAL BANK NOIDA BRANCH	13406100107378 / 2112759
FEDERAL BANK NOIDA BRANCH	13406100107592 / 2165726
FEDERAL BANK NOIDA BRANCH	13406100108061 / 2134317
FEDERAL BANK NOIDA BRANCH	13406800001913 / 2211167

Place: NOIDA, Sd/-, Authorised Officer,
Date: 18.08.2022 For The Federal Bank Ltd.

कब्जा सूचना

जबकि, असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (आर्सिल) के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचनाएं जारी की थीं, जिनमें निम्नलिखित कर्जदारों से उक्त सूचनाओं में उनके संबंधित नाम के सामने वर्णित राशियां, उन पर लागू दरों पर ब्याज के साथ, उक्त सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर, आगे भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चे, लागतें, प्रभार इत्यादि चुकाने की मांग की गई थी।

क्र. सं.	कर्जदार का नाम/सह–कर्जदार का नाम/ ऋण खाता संख्या	कुल बकाया राशि (रू. में)/ नियत तिथि	कब्जा की तिथि एवं प्रकार
1	मिश्री लाल / चंद्र पाल सिंह/ 283791000000172	रु. 10,15,583.76/- 17-05-22	सांकेतिक 16-08-22

सम्पत्ति का वर्णन : प्लॉट नंबर 8, हाउस नंबर 103, जागृति विहार, गुघर, सेक्टर–23, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। चंद्र पाल सिंह के नाम पर 44 वर्ग गज क्षेत्रफल।

जबकि इसमें ऊपर वर्णित कर्जदार बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदारों को विशेष रूप से और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि आर्सिल के अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां ऊपर वर्णित संपत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों का **सांकेतिक कब्जा** उपरिवर्णित तिथियों को प्राप्त कर लिया है। विशेष रूप से ऊपर वर्णित कर्जदारों तथा जनसाधारण को उपरोक्त संपत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और उपरोक्त संपत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार आर्सिल के प्रभार के अधीन होगा।

स्थान : गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
तिथि : 19–08–2022 असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड

Arcil Premier ARC
असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड
सीआईएन : U65999MH2002PLC134884, वेबसाइटः www.arcil.co.in

पंजीकृत कार्यालय : दि रूबी, 10वां तल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई–400028, फोन : + 91 2266581300
शाखा पता : यूनिट नंबर 1008, 11 वीं मंजिल, वेस्ट एंड मॉल, जनकपुरी डिस्ट्रिक सेंटर, नई दिल्ली–110058, फोन : 9289119262 – 67